कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.comPhone/Fax-2767611

पत्रांकः— 1683 / FP/UK/MIN/147953/2021 दिनॉकः देहरादून 13 जनवरी, 2023

सेवा में,

वन महानिरीक्षक (एफ0सी0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज,
नई दिल्ली— पिन— 110003।

विषयः—जनपद— नैनीताल में तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र में बहने वाली दाबका नदी के वन स्वीकृति (F.C.) पुर्नप्रस्ताव FP/UK/MIN/147953/2021 में भारत सरकार द्वारा लगाई गई EDS आपत्ति के संबंध में।

सन्दर्भः— भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली की पत्र संख्या 8-61/1999-FC (Pt-v) दिनांक 30 दिसम्बर 2022।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित **EDS दिनांक 30—12—2022** के सम्बन्ध में वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) के पत्रांक 1201/12—1 दिनांक 11.01.2023 के द्वारा प्रेषित बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :—

क्र सं	आपत्ति	प्रतिउत्तर
1	The State/UA has applied for the renewal of diversion of forest land for next 10 years, however, the mining plan has been approved upto February 2023 only. Further, the State has informed that the mining plan is under process for approval for the next five years whereas renewal is being sought for 10 years. In this regard, the approved mining plan for commensurate time period is required to be provided.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि याचक विभाग के अनुसार अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र सं0 1573/FP /UK/MIN /147953/2021/ दिनांक 30 सितम्बर 2022 के अनुपालन में दाबका नदी के भूतत्व एंव खनिकर्म, इकाई द्वारा स्वीकृत माइनिंग प्लान की प्रति नोडल अधिकारी को प्रेषित कर दी गयी है। Mining Plan की वैधता 18 फरवरी 2023 से अग्रेत्तर 05 वर्षो की अवधि (19 फरवरी 2028) हेतु नवीनीकृत किया गया है। उक्त पत्र प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है। उत्तराखण्ड सरकार की खनन नीति के अनुसार खनन योजना मात्र 05 वर्षो हेतु ही बनायी जानी निर्दे"ात है, साथ ही यह भी अवगत कराया गया है कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा अपनी पत्र सं0—औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग—1 स0—2171/VII-A-1/2021/22ख/13 देहरादून, दिनांक 03 जनवरी 2022 द्वारा खनन पट्टा 18 फरवरी 2023 से आगामी 10 वर्षो हेतु (दिनांक 19 फरवरी 2033 तक) नवीनीकृत किया गया है। उक्त पत्र प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।
2	Cost benefit Analysis has not been submitted as per the format prescribed in the FCA, Handbook of guidelines dated 28.03.2019.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि याचक विभाग द्वारा लागत लाभ वि"लेषण सरकार द्वारा प्रदत्त गाईड लाईन के अनुसार पुनः तैयार कर प्रभाग को उपलब्ध कराया गया है, जो प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।
3	The State has informed that the DSR report has been prepared only up to 2018. Fresh DSR for the proposed area is required to	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि याचक विभाग के अनुसार खनन

क्र सं	आपत्ति	प्रतिउत्तर
	be submitted as per the Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining Guidelines- January 2020.	विभाग द्वारा जारी खनन योजना जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (जिला–नैनीताल) दिनांक 25.07.2018 तक की प्रेषित की गई है। वन विकास निगम की पत्र सं0–1319 / खनन 2022–23 / दिनांक 20.09.2022 द्वारा खनन विभाग से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट हेतु आवेदन किया गया था, जिस के क्रम में खनन विभाग द्वारा अपनी पत्र सं0–870 / भू0खनि0ई0 / खनन ई–रवन्ना / 2022– 23 दिनांक 30–10–2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि जिला–नैनीताल कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR), वर्ष 2018 के उपरान्त तैयार नहीं की गई है, तथा वर्तमान में यही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट लागू है। उक्त पत्र प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।
4	The supportive documents in the compliance of the conditions no. (V) of the Stage-II approval dated 15-02-2013 wherein it has been mentioned the "the collection of minor minerals after 31st day of January in a year shall be allowed only after receipt of certificate from the Monitoring Committee under the Chairmanship of the Principal Chief Conservator of Forests, Uttrakhand constituted vide Government of Uttrakhand's letter No. 14-1/X-3-13-08(14)2008-T.C. dated 29.01.2013 to the effect that the condition stipulated in the approval accorded under the Forest (Conservation) Act, 1980 and the instructions issued by the Monitoring Committee have satisfactorily been complied in collection of the minor minerals during the previous calendar year, may be provided.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि याचक विभाग के अनुसार भारत सरकार की पत्र सं0–8–61 / 1999–F.C. (Pt.V) दिनांक–15 फरवरी–2013 के बिन्दु सं0–02 (V) के अनुपालन में उत्तराखण्ड शासन की पत्र सं0 14-1/X-3-13-08 (14)2008-T.C. dated 29.01.2013 के अनुसार प्रमुख वन संरक्षक (HOFF) उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है। अनुश्रवण समिति द्वारा बिन्दु सं0–02 (V) में उल्लेखित शर्तो के अनुपालन के अनुश्रवण हेतु प्रत्येक वर्ष बैठक कर विगत कैलेण्डर वर्ष की समीक्षा की जाती रही है। जिसकी प्रति भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, (MoEF) देहरादून को भी प्रेषित की जाती है, गत वर्षो की अनुश्रवण समिति द्वारा जारी कार्य वृत्तों की छायाप्रति प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव विभाग के अनुरोध के दृष्टिगतप्रकरण पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

संख्या 1683 / FP/UK/MIN/147953/2021 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवकश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी (नैनीताल) के पत्रांक 1201 / 12–1 दिनांक 11.01.2023 के कम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर।
3. प्रभागीय प्रबन्धक, खनन प्रभाग, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, रामनगर।

13/01/23

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,